11-6-18 उक्त प्रकरण निगम सचिव लोक अदालत, मध्य अंचल दतिया कोर्ट नं. 1 के समक्ष सुनी सचिव अधिवक्ता पक्ष उक्त प्रतिवादीगण अनुपस्थित बार बार अवसर दिया गया, मगर किसी को भी उक्त नोटिस पर इनके विद्वान एक पक्षीय कार्यवाही निगम के पक्ष में की गई सचिव के निर्णय पर इन्हें एक पक्षीय सुनाया गया।

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाता है। बार बार अवसर दिया गया। पश्चात खुलासा देकर बार मांगा गया, परिणाम स्वरूप

अध्यक्ष
लोक अदालत
दतिया

Scanned by CamScanner